तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में [illegible]
29-5-26	वकील उभयपक्ष उप०। वकील सायल ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि विवादित भूमि से गैरसायलान का कोई ताल्लुक नहीं है। गैरसायलान जबरन विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करना चाहते हैं। जबकि गैरसायलान को न्यायालय द्वारा दि० 15-10-18 को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद कर रखा है। इसलिए भूमि को कब्जे में लिया जाकर भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। वकील गैरसायलान ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर पूर्व से ही न्यायालय का स्थगन है। गैरसायलान द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया है। जो निर्माण है वह होने से पूर्व का है। इसलिए प्रार्थनापत्र रिसीवर निरस्त फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। विवादित भूमि की खातेदारी सायल के नाम दर्ज है। परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि के बाबत दि० 15-10-18 को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं। गैरसायलान के कथनानुसार भूमि पर कोई नया निर्माण नहीं है। सायल द्वारा भूमि पर नया निर्माण होने और भूमि को लेकर अन्य कोई विवाद या कोई मुकदमा होने बाबत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भूमि पर स्थगन के बावजूद स्थगन का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त किया जाना एक कठोरतम कार्यवाही है जो उचित नहीं है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत रिसीवर प्रार्थनापत्र आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	